

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 66/2024

2021/83

प्रार्थी

इ. 11/11/2024 ज. 12/11/2024 बनाम श्री. ता. देवी कौर अप्रार्थी

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/2024	<p>तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)के तहत जमाबन्दी में मौजूद खसरो को राजस्व नक्शों में दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो में रेकार्ड मौका व नक्शों में भिन्नता आ रही है यथा किसी सरकारी खसरो में से कई खातेदारों को पूर्व में गे,मु,बाडा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबों के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूरा कर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं है । अतः ऐसे खसरो को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी 21/11/2024 मय अनुशेषा भूअ,निरीक्षक 23 रकबा 22.07 बीघा</p> <p>..... (11/11/2024)..... एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मुल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मुल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP)के तहत रेकार्ड में एकीकरण कर रेकार्ड दुरुस्ती करें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी